शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-30/2024/बी-2-673 /दस-2024-आर-2/2016

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनाँक 05 नवम्बर, 2024**

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/60857, दिनाँक 24 अक्टूबर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आँकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आँकड़ों का विभागीय आँकड़ों से मिलान के लिये दिनाँक 04.11.2024 से 05.12.2024 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं.-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-2002 से 2022-2023 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी. बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें, जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी. बिल का समायोजन भी महालेखाकार कार्यालय में सम्भव हो सके। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखा मिलान कार्य दिनाँक 05.12.2024 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-30/2024/बी-2-673 (1)/दस-2024-आर-2/2016 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/60857, दिनाँक 24 अक्टूबर, 2024 के सन्दर्भ में।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-30/2024/बी-2-673/दस-2024-आर-2/2016, दिनाँक 05 नवम्बर, 2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 से सम्बन्धित माह जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1	आबकारी	11.11.2024
2	आवास	
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5	ऊर्जा	12.11.2024
6	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7	रेशम विभाग	
8	कृषि विभाग	
9	परती भूमि विकास	13.11.2024
10	समन्वय विभाग	
11	कृषि विपणन विभाग	
12	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13	ग्राम्य विकास विभाग	14.11.2024
14	भूगर्भ जल विभाग	
15	लघु सिंचाई	
16	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17	पंचायती राज विभाग	18.11.2024
18	पशुधन	
19	दुग्ध विकास	
20	मत्स्य	
21	सहकारिता	19.11.2024
22	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23	खाद्य एवं रसद	
24	खेल एवं युवा कल्याण	

25	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	20.11.2024
26	गृह (कारागार)	
27	गृह (पुलिस)	
28	नागरिक सुरक्षा	
29	राजनीतिक पेंशन	21.11.2024
30	गृह (गोपन)	
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32	परिवार कल्याण विभाग	
33	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	22.11.2024
34	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37	नगर विकास	
38	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	25.11.2024
39	नागरिक उड्डयन	
40	भाषा	
41	नियोजन	
42	निर्वाचन	
43	न्याय	
44	परिवहन	26.11.2024
45	पर्यावरण	
46	पर्यटन विभाग	
47	प्रशासनिक सुधार	
48	प्राविधिक शिक्षा	
49	अल्पसंख्यक कल्याण	
50	महिला एवं बाल विकास	27.11.2024
51	राजस्व	
52	सहायता एवं पुनर्वास	
53	राष्ट्रीय एकीकरण	
54	लोक निर्माण	
55	राज्य सम्पत्ति विभाग	

56	वन	28.11.2024
57	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
58	विधान परिषद सचिवालय	
59	विधान सभा सचिवालय	
60	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61	वित्त विभाग	
62	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	29.11.2024
63	बेसिक शिक्षा	
64	माध्यमिक शिक्षा	
65	उच्च शिक्षा	
66	श्रम	
67	सचिवालय प्रशासन	
68	कार्यक्रम कार्यान्वयन	02.12.2024
69	विकलांग कल्याण	
70	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71	समाज कल्याण	
72	जनजाति कल्याण	
73	सतर्कता विभाग	
74	सामान्य प्रशासन	03.12.2024
75	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76	सार्वजनिक उद्यम	
77	सूचना	
78	संस्थागत वित्त	
79	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80	मनोरंजन कर	04.12.2024
81	सैनिक कल्याण	
82	व्यापार कर	
83	सांस्कृतिक कार्य	
84	सिंचाई एवं जल संसाधन	
85	उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो	05.12.2024